

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 50/2023-State Tax

Dated: 30th June/2025

No. F.3 (11)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/595 - In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereinafter in this notification referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, Finance (Revenue-1) Department No.66/2017- StateTax, dated the 22th December, 2017, published in the part IV of the Delhi Gazette, Extraordinary, *vide* number F.3(74)/Fin(Rcv-I)/2017-18/DS-VI/828 dated the 22th December, 2017, namely: —

In the said notification, with effect from the 1st October, 2023, after the words and figures “composition levy under section 10 of the said Act”, the words and figures “, other than the registered person making supply of specified actionable claims as defined in clause (102A) of section 2 of the said Act,” shall be inserted.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

Note: The principal notification No. 66/2017- State Tax, dated the 22th December, 2017, was published in the the part IV of the Delhi Gazette, Extraordinary, *vide* number F.3(74)/Fin(Rcv-I)/2017-18/DS-VI/828 dated the 22th December, 2017.

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
7. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.



(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002
अधिसूचना संख्या 50/2023-राज्य कर

दिनांक 30th/June/2025

सं.फा.3 (11)/वित्त (व्यय-I)/2025-26/डीएस-I /545 - दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (जिसे इस अधिसूचना में तत्पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की अनुशंसाओं पर एतद् द्वारा वित्त (राजस्व-I) विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या 66/2017-राज्य कर, जिसे दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 की फा0 सं0. 3(74)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/828 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण के भाग IV में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से, "उक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत संयोजन उद्ग्रहण" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (102क) में यथापरिभाषित निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्ति के अतिरिक्त" शब्दों और अंकों सन्निविष्ट किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर


(रविन्द्र कुमार)

संयुक्त सचिव (वित्त)

नोट: दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 की मूल अधिसूचना संख्या 66/2017-राज्य कर, को दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 की फा0सं0 .3(74)/वित्त (राजस्व-I) 2017-18/डीएस-VI/828 के द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग IV में प्रकाशित की गई थी।

सं.फा.3 (11)/वित्त (व्यय- I)/2025-26/डीएस- I /595

दिनांक: 30th/June/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 3 माननीय वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 5 मुख्य सचिव के कर्मचारी अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 7 अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 9 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 10 निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।


(रविन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)